ए.

आंध्र प्रदेश राज्य

वी.

एम/एस लिंक इंडिया लिमिटेड। (पूर्व बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) (2020 की सिविल अपील संख्या 2230)

बी.

13 अप्रैल, 2020

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005-प्रविष्टि 88, अनुसूची IV; अनुसूची V-2005 अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रतिवादी-कंपनी औद्योगिक गैसों के निर्माण, व्यापार में लगी हुई है और मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी.-यह मुद्दा कि क्या मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. प्रविष्टि 88, अनुसूची IV के तहत कर योग्य हैं या अनुसूची V के तहत 'अवर्गीकृत वस्तुओं' के रूप में और उन पर लगाए जाने वाले कर की परिणामी दर-आयोजितःअनुसूची IV में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की एक समान कर दर निर्धारित की गई है-प्रविष्टि 88 में दवाएं और दवाएं शामिल हैं, जैसा कि खंड (i), (ii) और (iii) में परिभाषित किया गया है।3(बी), 1940 अधिनियम-कोई भी दवा या दवा जो धाराओं के खंड (i), (ii) और (iii) के दायरे में आती है।3(ख) अनुसूची IV के दायरे में आता है-अनुसूची V में निर्धारित किया गया है कि सभी सामान जो अनुसूची I, III, IV और VI के दायरे में नहीं आते हैं, उन पर कर लगाया जाएगा @14.5% -धारा 16,1940 अधिनियम आर/डब्ल्यू दूसरी अनुसूची और भारतीय औषधालय में चिकित्सा ऑक्सीजन का विनिर्देशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान, "भारतीय औषधालय" शीर्षक से अपने प्रकाशन के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट दवाओं की पहचान, शुद्धता और ताकत के लिए मानक निर्धारित करता है) प्रतिवादी के इस तर्क का समर्थन करता है कि चिकित्सा ऑक्सीजन आई. पी. एक दवा है जैसा कि धारा 16 में परिभाषित किया गया है।3(ख) (i), 1940 अधिनियम-इसके अलावा, 2013 के मूल्य नियंत्रण आदेश में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 शामिल है-इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को संज्ञाहरण के रूप में शामिल करने से किसी

विकार या बीमारी के निदान और उपचार में इसके उपयोग में सहायता मिलती है जैसा कि अनुभागों में निर्दिष्ट किया गया है।3(बी) (1), 1940 अधिनियम-मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्यों में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए किया जाता है।3(ख) (i), 1940 अधिनियम और इसके परिणामस्वरूप प्रविष्टि 88,2005 अधिनियम-औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में शामिल हैं -धारा 3 (ख) (i)-(iv);एस. 16 -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

838 ए.

स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम एम/एस लिंक इंडिया लिमिटेड (पूर्व में बीओसी इंडिया लिमिटेड)

839

विधानों की व्याख्या-आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 -धारा 3-औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1 2005** के अधिनियम की अनुसूची **IV** में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए **4** प्रतिशत**/5** प्रतिशत की एक समान कर दर निर्धारित की गई है।प्रविष्टि **88** में **1940** के अधिनियम की धारा **3 (**बी**)** के खंड **(i), (ii)** और **(iii)** में परिभाषित दवाओं और दवाओं को शामिल किया गया है। कोई भी दवा या दवा जो धारा **3 (**बी**)** के खंड **(i), (ii)** और **(iii)** के दायरे में आती है**,** अनुसूची **IV** के दायरे में आती है। प्रविष्टि **88** में यह भी निर्धारित किया गया है कि हाइपोडर्मिक सिरिंज**,** हाइपोडर्मिक सुई**,** कैटगट्स**,** टांके**,** सर्जिकल कपास**,** ड्रेसिंग**,** प्लास्टर**,** कैथरर्स**,** कैनुला**,** पट्टियाँ और 'समान वस्तुएँ' भी शामिल हैं**,** सिवाय तीन निर्दिष्ट बहिष्करणों के।अनुसूची **V** में कहा गया है कि अनुसूची **I, III, IV** और **VI** के दायरे में नहीं आने वाली सभी वस्तुओं पर **14.5%** की दर से कर लगाया जाएगा।धारा **3 (**बी**)** के खंड **(**आई**)** में एक दवा को मनुष्यों या जानवरों के आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए सभी दवाओं और "मनुष्यों या जानवरों में किसी भी बीमारी या विकार के निदान**,** उपचार**,** शमन या रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी

पदार्थों" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निर्दिष्ट तैयारी भी शामिल है।धारा **3 (**बी**)** के खंड **(iv)** में मनुष्यों या जानवरों में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए 'अभिप्रेत' सभी उपकरण शामिल हैं।**[**पारस **10-12] [846-B, E-G; 847-D]**

बी.

सी.

डी.

ई.

चिमनलाल जगजीवंदास सेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य

ए. आई. आर 1963 एस. सी. 665:[1963] पूरक।एससीआर 344; ईश्वर

सिंह बिंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[1969] 1** एससीआर **219 -**

संदर्भित किया गया।

एफ.

1.2 1940 के अधिनियम में "चिकित्सा" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। चिकित्सा शब्द की सामान्य या लोकप्रिय समझ सामान्य रूप से इसके उपचारात्मक गुणों और विशेष रूप से, किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए इसका उपयोग है।**[**पारस **16,18] [849-**जी**; 852-**बी**]**

जी.

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार (2005) 4 एस. सी. सी. 550; गोवा राज्य बनाम ल्यूकोप्लास्ट (इंडिया) लिमिटेड (1997) 4 एस. सी. सी. 82:

[1997] 2 एस**.** सी**.** आर**. 516-**पर निर्भर।

एच.

840 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

ए.

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार **2005 Cr.L.J (**एससी**) 2008;** हरियाणा राज्य बनाम सुरेश **(2007)**

15 एससीसी 186:[2007] 7 एससीआर 961; राजस्थान राज्य बनाम बाबू राम (2007) 6 एससीसी 55:[2007] 7 एससीआर 939;

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप

कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1:[2018] 7 एस. सी. आर. 1191-संदर्भित।

बी.

ब्लैक लॉ डिक्शनरी; कॉलिन्स डिक्शनरी; कैम्ब्रिज

शब्दकोश-संदर्भित।

1.3 भारतीय फार्माकोपिया आयोग भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है।भारतीय दण्ड संहिता सी**.** ने 'इंडियन फार्माकोपिया' नामक अपने प्रकाशन के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट दवाओं की पहचान**,** शुद्धता और ताकत के लिए मानक निर्धारित किए हैं।मेडिकल ऑक्सीजन **(99.9%** शुद्धता पर**)** को 'ऑक्सीजन आईपी' नामक दवा के रूप में शामिल किया जाता है।धारा **16,** जिसे दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है और भारतीय फार्माकोपिया में मेडिकल ऑक्सीजन का विनिर्देशन प्रत्यर्थीगणओं द्वारा आग्रह किए गए इस तर्क का समर्थन करता है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई**.** पी**. 1940** के अधिनियम की धारा **3 (**बी**) (**आई**)** में परिभाषित एक दवा है। इसके अलावा**,** आवश्यक वस्तु अधिनियम **1955** की धारा **3** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** केंद्र सरकार ने दवा **(**मूल्य नियंत्रण**)** आदेश **2013** जारी किया।पैरा **2 (**टी**)** में कहा गया है कि 'आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची' का अर्थ है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची **2011** जिसे समय-समय पर अद्यतन और संशोधित किया जाता है।यह भी निर्दिष्ट करता है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची **2011** आदेश की पहली अनुसूची में शामिल है।पैरा **2 (2)** में कहा गया है कि इसमें उपयोग किए गए और **1940** के अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः **1940** के अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ होंगे। पहली अनुसूची में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची **2011** शामिल है।धारा **1** में नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को 'संज्ञाहरण' के दायरे में दवाओं के रूप में शामिल किया गया है।ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को संज्ञाहरण के रूप में शामिल करने से **1940** के अधिनियम की धारा **3 (**बी**) (1)** में निर्दिष्ट किसी विकार या बीमारी के निदान और उपचार में इसके उपयोग में सहायता मिलती है। **[**पारस **20-23] [853-F-H; 854-A-B, G-H]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सदर्न गैस लिमिटेड बनामकेरल राज्य **(2005) 3** के**.** एल**.** टी**. 78;** इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम**.**कर्नाटक राज्य **(1989)** एससीसी ए

एच.

स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम एम/एस लिंक इंडिया लिमिटेड (पूर्व में बीओसी इंडिया लिमिटेड)

841

ऑनलाइन कर **459;** तमिलनाडु राज्य बनाम राम ऑक्सीजन **(**प्रा**.)** लिमिटेड **2010 (35)** वीएसटी **478;** पनकी ऑक्सीजन बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश (2014) एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 2144-संदर्भित।

1.4 मेडिकल ऑक्सीजन आई**.** पी**.** और नाइट्रस ऑक्साइड आई**.** पी**. 1940** के अधिनियम की धारा **3 (**बी**) (**आई**)** के दायरे में आने वाले मनुष्यों में किसी भी बीमारी या विकार के निदान**,** उपचार**,** शमन या रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। मेडिकल ऑक्सीजन आई**.** पी**.** और नाइट्रस ऑक्साइड आई**.** पी**. 1940** के अधिनियम की धारा **3 (**बी**) (**आई**)** के दायरे में आते हैं और इसके परिणामस्वरूप **2005** के अधिनियम की प्रविष्टि **88** में शामिल हैं। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में इस हद तक कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई**.** पी**.** और नाइट्रस ऑक्साइड आई**.** पी**. 2005** के अधिनियम की प्रविष्टि **88** के अंतर्गत आते हैं।**[**पैरा **31,32] [859-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त

(सी. टी.), हैदराबाद 2014 वी. आई. एल. 339 ए. पी.; दक्षिणी गैस बनाम केरल राज्य 2005 (139) एस. टी. सी. 504 (केरला); तमिलनाडु राज्य बनाम राम ऑक्सीजन [2011] 5 जी. एस. टी. 87 (मैड एच. सी.);

डी.

चिमनलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य **2004 (137)** एसटीसी **68;** भारतीय ऑक्सीजन बनाम कर्नाटक राज्य **1990 (79)** एसटीसी **351;** केरल राज्य बनाम भारतीय ऑक्सीजन **2003 (129)** एसटीसी **471;** एसीटीओ**,** स्पेशल सर्कल जोधपुर बनाम मेसर्स जोधपुर

गैस (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन 2459-संदर्भित।

ई.

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत; सांविधिक कानून पर क्रेज़; के. डी. त्रिपाठी, एसेंशियल ऑफ़ मेडिकल फार्माकोलॉजी, VIIth एड., पी.378 –

संदर्भित किया गया।

एफ.

वी ल्यू, ई मैके, एम मेज़, अतीत, वर्तमान और भविष्य

नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रिटिश मेडिकल बुलेटिन, खंड 125, अंक 1, मार्च 2018, पृष्ठ 103-119; डब्ल्यूएचओ मॉडल

निर्धारित जानकारीःएनेस्थीसिया में उपयोग की जाने वाली दवाएँ

(1989) – संदर्भित किया गया।

जी.

मामला कानून संदर्भ

[1963] पूरक।एससीआर **344**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

[1969] 1 एससीआर **219**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

(2005) 4 एससीसी **550**

उस पर भरोसा करें

पैरा **17**

एच.

842 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

ए.

2005 Cr.L.J। (एससी) **2008**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

[2007] 7 एससीआर **961**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

[2007] 7 एससीआर **939**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

[2018] 7 एससीआर **1191**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

बी.

[1997] 2 एससीआर **516**

उस पर भरोसा करें

पैरा **19**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2230।

2015 के कर संशोधन मामले संख्या 53 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

सी.

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 2233-34,2231 और 2232

संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुंटूर प्रभाकर, हेमल किरीटकुमार सेठ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, दिग्विजय हरिचंदन, जी. एन. रेड्डी, शब्यासेची पात्रा, संजीव कुमार, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, अन्नम डी. एन. राव, अन्नम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, अनन्या कंडेलवाल, अवनी शर्मा और सुश्री संगीता एम., अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपीलों में कानून का संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या 'मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी.' और 'नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी.' आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची IV की प्रविष्टि 88 के तहत कर योग्य हैं या अनुसूची V के तहत 'अवर्गीकृत वस्तुओं' के रूप में। दोनों उत्पादों का वर्गीकरण उन पर लगाए जाने वाले कर की दर निर्धारित करता है-प्रविष्टि 88 के तहत 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत 2 या अनुसूची V के तहत 12.5%/14% 3।

एफ.

3. इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में तथ्य समान होने के कारण, हम प्रमुख अपील के तथ्यात्मक संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

जी.

4. प्रत्यर्थी-लिंडे इंडिया लिमिटेड, 2005 के अधिनियम के तहत एक पंजीकृत कंपनी है और वाणिज्यिक सूची में एक निर्धारिती है।

1 2005 एक्ट करें।

2 5% 20 अप्रैल 2012 के 2012 के अधिनियम 11 द्वारा 4 प्रतिशत के लिए प्रतिस्थापित। 20 अप्रैल 2010 के 2010 के अधिनियम 9 द्वारा 3 14.5% को 12.5% के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

एच.

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

843

ए.

कर अधिकारी, गाजुवाका और द्वारका नगर सर्कल।प्रतिवादी औद्योगिक गैसों के साथ-साथ मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. के निर्माण और व्यापार में लगा हुआ है। 12 दिसंबर 2005 को, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि रुपये की बकाया कर देयता। 5,11,062 1 अगस्त 2005 और 31 अगस्त 2005 के बीच की अवधि के लिए देय और देय था।

बी.

5. पीड़ित, प्रत्यर्थी ने अपीलीय उपायुक्त के समक्ष एक अपील दायर की, जिन्होंने 26 जून 2006 के अपने आदेश द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी के मूल्यांकन की पुष्टि की।25 नवंबर

2014 के एक आदेश द्वारा, बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम द

सी.

सहायक आयुक्त (सी. टी.), हैदराबाद 4 ने दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

प्रत्यर्थी द्वारा।तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी गई थी।पीड़ित, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

6. उच्च न्यायालय का विचार था कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 3 (बी) (आई) 5 में 'औषधि' शब्द किसी भी पदार्थ को इसके दायरे में लाता है जिसका उपयोग किसी बीमारी या विकार के उपचार, रोकथाम और शमन के लिए किया जाता है।उच्च न्यायालय ने कहा कि (i) मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. का उपयोग रोगियों के उपचार और बीमारियों और विकारों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है; और (ii) नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. का उपयोग शल्य चिकित्सा संचालन और कम अवधि की प्रक्रियाओं में संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है।उच्च न्यायालय ने कहाः

डी.

ई.

“..."नाइट्रस ऑक्साइड" और "मेडिकल ऑक्सीजन" दोनों स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं, और इनका उपयोग शल्य चिकित्सा सहायता के रूप में किया जाता है (इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड. कर्नाटक राज्य; सदर्न गैस लिमिटेड)।उपयोगकर्ता परीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि "मेडिकल ऑक्सीजन" और "नाइट्रस ऑक्साइड" दवाओं के रूप में काम करते हैं।चूंकि 'मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी.' और 'नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी.' का उपयोग मनुष्यों में विकारों के उपचार और शमन में किया जाता है, और जैसा कि उन्हें आम तौर पर शल्य चिकित्सा सहायक के रूप में व्यापार में समझा जाता है, ये दोनों पदार्थ औषधि अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) के तहत 'दवा' की परिभाषा के तहत आते हैं, और इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 88 के तहत आते हैं, जिन पर केवल 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत कर लगता है।

एफ.

जी.

4 2014 वी. आई. एल. 339 ए. पी. 5 1940 अधिनियम

एच.

7. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया:

(i) आईनॉक्स एयर में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय, जहाँ तक यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. प्रविष्टि 88 में "समान लेख" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए हैं, गलत है।इजसडेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि गैसें प्रवेश में निर्दिष्ट अन्य उत्पादों के समान हैं।

बी.

((ii) धारा 3 (बी) (आई) में प्रयुक्त 'के लिए या में' शब्द केवल 'पदार्थों' के लिए योग्य है न कि 'दवाओं' के लिए।नतीजतन, इसका उपयोग प्रविष्टि 88 के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

सी.

(iii) यद्यपि 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) में ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो शल्य चिकित्सा या अन्य मामलों के इलाज के लिए आवश्यक सहायक हैं, प्रविष्टि 88 में एक बहिष्करण खंड भी शामिल है।अनुसूची IV की प्रविष्टि 100 (36) में विशेष रूप से "मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन" शामिल नहीं है।प्रविष्टि 88 में मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. के विशिष्ट समावेशन के अभाव में, वे अनुसूची V में अवर्गीकृत वस्तुओं के दायरे में आते हैं; और

डी.

((iv) प्रत्येक 'पदार्थ' को प्रविष्टि 88 के दायरे में केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।प्रविष्टि 88 के दायरे में आने वाले किसी पदार्थ के लिए, उसे 1940 के अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में निर्धारित परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

ई.

8. उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया:

एफ.

(i) 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) एक 'दवा' को मोटे तौर पर किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए या उपयोग की जाने वाली दवा या पदार्थ के रूप में परिभाषित करती है।मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. व्यापक रूप से अपने उपचारात्मक गुणों और रोगों और विकारों के निदान, उपचार, शमन और रोकथाम में दवाओं के रूप में जाने जाते हैं।

जी.

((ii) मेडिकल ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को भारतीय फार्माकोपिया में शामिल किया गया है जो दवाओं के लिए मानक निर्धारित करता है।भारतीय फार्माकोपिया को ए के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त है।

एच.

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

845

1940 के अधिनियम की धारा 16। नतीजतन, मेडिकल ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड 1940 के अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के दायरे में दवाएं हैं। चूंकि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. 1940 के अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के दायरे में 'दवाएं' हैं, इसलिए उन्हें 2005 के अधिनियम की प्रविष्टि 88 में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

बी.

((iii) वस्तुओं को उनके लोकप्रिय अर्थ या उनके व्यावसायिक अर्थ के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।ऑक्सीजन का व्यापक रूप से आपातकालीन दवा के साथ-साथ चिकित्सा सेवाओं के वितरण के लिए भी उपयोग किया जाता है।नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में संवेदनाहारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।सामान्य बोलचाल परीक्षण को लागू करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन उत्पादों का उपयोग रोगों और विकारों के शमन में किया जाता है और 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) में परिभाषित दवाओं के रूप में प्रविष्टि 88 के दायरे में आते हैं।

सी.

(iv) देश के कई उच्च न्यायालयों ने समान रूप से माना है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. अपने-अपने राज्य अधिनियमों के अर्थ के भीतर दवाएं हैं।

डी.

इनमें दक्षिणी गैस बनाम केरल राज्य 6, तमिलनाडु राज्य बनाम राम ऑक्सीजन 7, पनकी ऑक्सीजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 8, चिमनलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 9, भारतीय ऑक्सीजन बनाम कर्नाटक राज्य 10, केरल राज्य बनाम भारतीय ऑक्सीजन 11 और एसीटीओ, स्पेशल सर्कल जोधपुर बनाम मेसर्स जोधपुर गैस 12 शामिल हैं।

ई.

(v) आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011, जो दवा मूल्य (नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची I का गठन करती है, में धारा 1 के तहत 'ऑक्सीजन' और 'नाइट्रस ऑक्साइड' को 'संज्ञाहरण' के रूप में शामिल किया गया है; और

एफ.

(vi) उच्च न्यायालय का निर्णय, जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न होती है, ठीक उसी के निर्णय पर आधारित था।

जी.

6 2005 (139) एसटीसी 504 (केर) 7 [2011] 5 जीएसटी 87 (मैड एचसी) 8 2014 एससीसी ऑनलाइन सभी 2144 9 2004 (137) एसटीसी 68 10 1990 (79) एसटीसी 351 11 2003 (129) एसटीसी 471 12 2009 एससीसी ऑनलाइन 2459

एच.

आईनॉक्स एयर में उच्च न्यायालय, दोनों को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिए आती हैं।

10. हमें वैधानिक ढांचे से शुरुआत करनी चाहिए।2005 के अधिनियम की अनुसूची IV में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की एक समान कर दर निर्धारित की गई है। अनुसूची IV की प्रविष्टि 88 निम्नानुसार हैः

बी.

“दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 23) की धारा 3 (बी) के खंड (i), (ii) और (iii) में परिभाषित दवाओं और दवाओं, जिनमें

हाइपोडर्मिक सिरिंज, हाइपोडर्मिक सुई, कैटगट्स, टांके, सर्जिकल कपास, ड्रेसिंग, प्लास्टर, कैथरर्स, कैनुला, पट्टियाँ और इसी तरह की वस्तुएँ शामिल हैं, लेकिन इनमें शामिल नहीं हैंः

सी.

(ए) औषधीय सामान;

(बी) सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी के रूप में उपयोग किए जाने में सक्षम उत्पाद जिनमें टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन, शौचालय के सामान और साबुन शामिल हैं; और

डी.

(ग) किसी भी रूप में मच्छर विकर्षक।”

प्रविष्टि 88 में 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) के खंड (i), (ii) और (iii) में परिभाषित दवाओं और दवाओं को शामिल किया गया है। कोई भी दवा या दवा जो धारा 3 (बी) के खंड (i), (ii) और (iii) के दायरे में आती है, अनुसूची IV के दायरे में आती है। प्रविष्टि 88 में यह भी निर्धारित किया गया है कि हाइपोडर्मिक सिरिंज, हाइपोडर्मिक सुई, कैटगट्स, टांके, सर्जिकल कपास, ड्रेसिंग, प्लास्टर, कैथरर्स, कैनुला, पट्टियाँ और 'समान वस्तुएँ' भी शामिल हैं, सिवाय तीन निर्दिष्ट बहिष्करणों के।

ई.

एफ.

11. 2005 के अधिनियम की अनुसूची V इस प्रकार हैः

“[14.5%] की मानक दर (RNR) पर कर योग्य वस्तुएँ

अनुसूची I, III, IV, VI में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर "अनुसूची V" में निर्धारित किया गया है कि वे सभी सामान जो अनुसूची I, III, IV और VI के दायरे में नहीं आते हैं, उन पर 14.5% की दर से कर लगाया जाएगा।12. 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) में "दवा" को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया हैः

जी.

शर्तेंः

“(i) मनुष्यों या जानवरों के आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए सभी दवाएं और ए के लिए या उसमें उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ।

एच.

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

मनुष्यों या जानवरों में किसी भी बीमारी या विकार का निदान, उपचार, शमन या रोकथाम, जिसमें मच्छर जैसे कीड़ों को दूर करने के उद्देश्य से मानव शरीर पर लागू की जाने वाली तैयारी शामिल है;

...

बी.

((iv) मनुष्यों या जानवरों में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए ऐसे उपकरण, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर बोर्ड के परामर्श के बाद आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

सी.

धारा 3 (बी) के खंड (आई) में एक दवा को मनुष्यों या जानवरों के आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए सभी दवाओं और "मनुष्यों या जानवरों में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थों" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निर्दिष्ट तैयारी भी शामिल है।धारा 3 (बी) के खंड (iv) में मनुष्यों में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए सभी 'उपकरण' शामिल हैं।

डी.

13. चिमनलाल जगजीवनदास सेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य, 13 के मामले में इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में चार न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सवाल यह था कि क्या अवशोषक सूती ऊन, रोलर पट्टियाँ और गज 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) के दायरे में आएंगे। न्यायालय ने कहाः"3. "दवाओं" की उक्त परिभाषा न केवल दवाओं बल्कि मनुष्यों या जानवरों की बीमारियों के लिए या उनके उपचार में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को भी लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है।यह कृत्रिम परिभाषा दवाओं और उन पदार्थों के बीच एक अंतर का परिचय देती है जो सख्त रूप से तथाकथित दवाएं नहीं हैं।द.

ई.

एफ.

अतः अभिव्यक्ति "पदार्थ", दवाओं के अलावा कुछ और होनी चाहिए लेकिन जिनका उपयोग उपचार के लिए किया जाता है।द.

परिभाषा का हिस्सा जो वर्तमान मामले के लिए सामग्री है "उपचार के लिए या उपचार में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ" है।इस खंड में "पदार्थ" अभिव्यक्ति का उचित अर्थ "चीजें" है। यह विवादित नहीं किया जा सकता है, और वास्तव में यह विवादित नहीं है, कि अवशोषक सूती ऊन, रोलर पट्टियाँ और गज हैं

जी.

13 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 665

एच.

“उक्त अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर पदार्थ।यदि ऐसा है, तो अगला सवाल यह है कि उनका उपयोग "उपचार" के लिए किया जाता है या नहीं।...

इस अपील के उद्देश्य के लिए "दवाओं" की परिभाषा के भीतर आने वाले "पदार्थों" को पूरी तरह से परिभाषित करना आवश्यक नहीं है; और हम मानते हैं कि शल्य चिकित्सा उपकरण "दवाएं" हैं या नहीं, इस मामले में संबंधित लेख हैं।”

बी.

(जोर दिया गया) इस न्यायालय ने कहा कि परिभाषा की व्यापक प्रकृति में दवाएं और दवाओं के अलावा कुछ और शामिल हैं, लेकिन जिनका उपयोग उपचार के लिए किया जाता है।उस मामले में, सवाल यह था कि क्या अवशोषक सूती ऊन, रोलर पट्टियाँ और जाली धारा 3 (बी) के दायरे में 'पदार्थ' हैं।यह उस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने माना कि पदार्थ 'चीजें' हैं।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 3 (बी) में परिभाषित दवाओं के दायरे में आने वाले 'पदार्थों' को पूरी तरह से परिभाषित करना आवश्यक नहीं है।एक पदार्थ एक उत्पाद हो सकता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से दवा के रूप में नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग रोगों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए किया जाता है।14 जहां किसी दवा के अलावा किसी अन्य उत्पाद का उपयोग किसी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए किया जाना है, वह धारा 3 (बी) (आई) के दायरे में आने वाला 'पदार्थ' होगा।

सी.

डी.

ई.

14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि धारा 3 (बी) (आई) में "किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए या उसमें उपयोग किए जाने का इरादा" वाक्यांश केवल 'पदार्थों' पर लागू होता है न कि 'दवाओं' पर।ईश्वर सिंह बिंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 15 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष केंद्रीय प्रश्न 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) की व्याख्या थी। इस न्यायालय ने कहाः

एफ.

“11. अब अगर "पदार्थ" अभिव्यक्ति का अर्थ "दवा" के अलावा कुछ और लिया जाना है जैसा कि हमारे पिछले निर्णय में माना गया है तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि धारा 3 (बी) (आई) में दवा की परिभाषा में "दवाओं" और "पदार्थों" के बीच "और" शब्द का उपयोग कैसे किया जा सकता था।

जी.

14 उदाहरण के लिए, बेरियम एक पदार्थ है जिसका उपयोग एक्स-रे में नैदानिक प्रक्रिया में एक तत्व के रूप में किया जाता है।

15 (1969) 1 एससीआर 219 ए

एच.

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

849

संयोजी रूप से उपयोग किया जाता है।संदर्भ में इसे अलग-अलग पढ़ना अधिक उपयुक्त होगा। स्ट्राउड्स जुडिशियल डिक्शनरी, थर्ड एडिशन में यह पी.135 कि "और" का आम तौर पर एक संचयी अर्थ होता है, जिसमें उन सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है जिन्हें यह एक साथ जोड़ता है, और यहाँ यह या का विरोधाभास है।कभी-कभी, हालांकि, इस तरह के संबंध में भी, इसे संदर्भों के बल पर "या" के रूप में पढ़ा जाता है।इसी तरह, मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स, 11 वीं संस्करण में, यह स्वीकार किया गया है कि "विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए कभी-कभी 'या' और 'और' एक के लिए दूसरे 'संयोजनों को पढ़ना आवश्यक पाया जाता है।

बी.

इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि खंड में 'पदार्थ' शब्द का उपयोग 'चिकित्सा' के अलावा कुछ और अर्थ के लिए किया जाता है, इसलिए यह विधायिका का इरादा नहीं था कि 'और' शब्द को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए।तदनुसार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिभाषा खंड के दो भागों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए।

सी.

15. उपरोक्त दृष्टिकोण में, धारा 3 (बी) (आई) में निर्धारित किया गया है कि मनुष्यों या जानवरों में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए या उपयोग की जाने वाली दवाओं या पदार्थों को परिभाषा के दायरे में शामिल किया जाएगा। परिभाषा खंड में 'के लिए' या 'में' वाक्यांश के उपयोग पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।धारा 3 (बी) (आई) में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए या किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं या पदार्थ दोनों शामिल हैं।जहां पहला किसी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में उत्पाद के प्रत्यक्ष उपयोग पर प्रकाश डालता है, दूसरा किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में एक सुविधाजनक एजेंट के रूप में इसके सहायक उपयोग पर प्रकाश डालता है।इस न्यायालय के लिए प्रासंगिक जांच यह है कि क्या मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. का उपयोग उसमें निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता है।

डी.

ई.

एफ.

16. 1940 के अधिनियम में चिकित्सा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह व्याख्या का एक तुच्छ सिद्धांत है कि एक क़ानून के शब्दों को शब्दों के सादे, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए।

जी.

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने मौलिक कार्य 'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' में कहा है:

“कानून के शब्दों को पहले उनके प्राकृतिक, साधारण या लोकप्रिय अर्थों में समझा जाता है और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाता है, जब तक कि यह कुछ शब्दों की ओर न ले जाए।

एच.

बेतुका या जब तक कानून के संदर्भ में या उद्देश्य में नियम के कथन का सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है, तब तक 'प्राकृतिक', 'साधारण', 'शाब्दिक', व्याकरणिक और 'लोकप्रिय' विशेषणों को लगभग एक दूसरे के स्थान पर नियोजित किया जाता है।

...

बी.

अक्सर यह कहा जाता है कि एक शब्द, एक प्राकृतिक, साधारण या लोकप्रिय अर्थ (अन्य पर्यायवाची जैसे शाब्दिक, व्याकरणिक और प्राथमिक सहित) के अलावा, एक माध्यमिक अर्थ हो सकता है जो कम सामान्य है जैसे तकनीकी या वैज्ञानिक अर्थ।लेकिन एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि शब्द का प्राकृतिक, साधारण या लोकप्रिय अर्थ इसके संदर्भ से लिया गया है, तो विभिन्न अर्थों के बीच अंतर इसकी प्रासंगिकता को खो देता है।"

सी.

इसी तरह, क़ानून पर क्रेज़ कहता हैः

"क़ानूनों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों में से एक उन्हें शब्दों के स्पष्ट, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझना है।यदि वह क़ानून के किसी भी स्पष्ट इरादे या घोषित उद्देश्य के विपरीत है, या उसके साथ असंगत है, या यदि इसमें कोई बेतुकी, असंगतता या असंगतता शामिल है, तो व्याकरणिक अर्थ को संशोधित, विस्तारित या संक्षिप्त किया जाना चाहिए, जहां तक ऐसी असुविधा से बचने के लिए, लेकिन आगे नहीं।यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब यह नहीं है कि वे क्या कहते हैं, उस पार्टी पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो उस पर आरोप लगाती है।उसे कुछ ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्याकरणिक संरचना अधिनियम के इरादे के प्रतिकूल होगी या कुछ स्पष्ट बेतुकी बात की ओर ले जाएगी।"

डी.

ई.

कानून के शब्दों को पहले उनके स्वाभाविक, साधारण या लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए, जब तक कि यह कुछ बेतुका न हो या जब तक कि संदर्भ में कुछ न हो, या इसके विपरीत सुझाव देने के लिए कानून के उद्देश्य में न हो।जहाँ किसी शब्द का द्वितीयक अर्थ होता है, वहाँ मूल्यांकन यह होता है कि क्या प्राकृतिक, साधारण या लोकप्रिय अर्थ उस संदर्भ से प्रवाहित होता है जिसमें शब्द का प्रयोग किया गया है।ऐसे मामलों में, भेद गायब हो जाता है और अदालतों को उस अर्थ को अपनाना चाहिए जो स्पष्ट व्याख्या और उस संदर्भ के रूप में प्रवाहित होता है जिसमें शब्द प्रकट होता है।

एफ.

जी.

17. हिमाचल प्रदेश बनाम पवन कुमार, 16 के मामले में यह तर्क दिया गया था कि मादक पदार्थों की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय और

एच.

16 (2005) 4 एससीसी 550 ए

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

851

किसी भी व्यक्ति की तलाशी के संबंध में मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम 1985 किसी भी थैले, ब्रीफकेस या ऐसी किसी वस्तु या पात्र पर भी लागू होगा, जिसे व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।अधिनियम में 'व्यक्ति' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 'व्यक्ति' शब्द का उपयोग किया गया है, इस तर्क को खारिज कर दिया और इस प्रकार निर्णय दियाः

बी.

“8. विधियों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों में से एक उन्हें शब्दों के सादे, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझना है।यदि यह कानून के किसी भी स्पष्ट इरादे या घोषित उद्देश्य के विपरीत या असंगत है, या यदि इसमें कोई बेतुकी, असंगतता या असंगतता शामिल है, तो व्याकरणिक अर्थ को संशोधित, विस्तारित या संक्षिप्त किया जाना चाहिए, जहां तक ऐसी असुविधा से बचने के लिए, लेकिन आगे नहीं।यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब यह नहीं है कि वे क्या कहते हैं, उस पार्टी पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो उस पर आरोप लगाती है।उसे कुछ ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्याकरणिक संरचना अधिनियम के इरादे के प्रतिकूल होगी या कुछ स्पष्ट बेतुकी बात की ओर ले जाएगी।”

सी.

डी.

वैधानिक व्याख्या का उपरोक्त सिद्धांत लगातार किया गया है।

इसके बाद इस न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार 17, हरियाणा राज्य बनाम सुरेश 18, राजस्थान राज्य बनाम बाबू राम 19 और सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार और कंपनी 20 मामले में सुनवाई की।

ई.

18. 'मेडिसिन' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है।

इस प्रकारः

"चिकित्सा-रोगों की रोकथाम, उपचार और उन्मूलन से संबंधित विज्ञान और कला; एक संकीर्ण अर्थ में स्वास्थ्य को बहाल करने और संरक्षित करने के विज्ञान और कला का वह हिस्सा जो सर्जन और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से अलग चिकित्सक का प्रांत है।" कोलिन्स डिक्शनरी फॉर एडवांस्ड लर्नर्स 'मेडिसिन' को परिभाषित करता है।

एफ.

इस प्रकारः

"दवा डॉक्टरों और नर्सों द्वारा बीमारी और चोटों का उपचार है; एक पदार्थ है जिसे आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए पीते हैं या निगलते हैं।

जी.

17 2005 Cr.L.J। (एससी) 2008 18 (2007) 15 एससीसी 186 19 (2007) 6 एससीसी 55 20 (2018) 9 एससीसी 1

एच.

कैम्ब्रिज डिक्शनरी 'मेडिसिन' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

"एक दवा जिसका उपयोग बीमारी या चोट के इलाज के लिए किया जाता है; स्वास्थ्य के संरक्षण और बीमारी या चोट को रोकने और इलाज से संबंधित विज्ञान।"

चिकित्सा शब्द की सामान्य या लोकप्रिय समझ सामान्य रूप से इसके उपचारात्मक गुणों और विशेष रूप से, किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए इसका उपयोग है।

बी.

19. गोवा राज्य बनाम ल्युकोप्लास्ट (इंडिया) लिमिटेड, 21 में प्रश्न

इस न्यायालय के समक्ष यह चिंता व्यक्त की गई कि क्या जिंक ऑक्साइड एडहेसिव प्लास्टर बी. पी. सी. (ल्यूकोप्लास्ट), सर्जिकल घाव ड्रेसिंग (हैंडीप्लास्ट), बेलाडोना प्लास्टर बी. पी. सी., कैप्सिकम प्लास्टर बी. पी. सी. और कॉटन क्रेप बैंडेज बी. पी. सी. (ल्यूकोक्रेप्स) 1940 के अधिनियम के तहत 'दवा' या 'दवा' हैं। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया कि क्या कोई उत्पाद निम्नलिखित शब्दों में दवा हैः

सी.

डी.

“15. हमारे विचार में, क्या निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पादों को "दवा या दवा" माना जा सकता है, इसका सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता है।उत्पादों की औषधीय सामग्री, यदि कोई हो, का पता लगाना होगा।इसके उपचारात्मक कार्य का पता लगाना होगा।क्या उत्पाद को दवा कहा जा सकता है?क्या इसका उपयोग बीमारी को ठीक करने या कम करने या रोकने के लिए या स्वास्थ्य को बहाल करने या स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है?.....”

ई.

इस न्यायालय ने कहा कि प्रासंगिक जांच यह है कि क्या उत्पाद को एक दवा के रूप में समझा जाता है और इसका उपयोग बीमारी को ठीक करने, कम करने या रोकने या स्वास्थ्य को बहाल करने या स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है।वर्तमान मामले में सवाल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सभी रूपों से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. से संबंधित है।

एफ.

20. 1940 के अधिनियम के चौथे अध्याय का शीर्षक 'दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण, बिक्री और वितरण' है।धारा 16 में कहा गया हैः

“16. गुणवत्ता के मानक।- (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "मानक गुणवत्ता" अभिव्यक्ति का अर्थ है -

जी.

(क) एक दवा के संबंध में, कि दवा दूसरी अनुसूची में निर्धारित मानक का अनुपालन करती है, और

एच.

(ख) प्रसाधन सामग्री के संबंध में, कि प्रसाधन सामग्री ऐसे मानकों का पालन करती है जो निर्धारित किए जा सकते हैं।”

धारा 16 (1) (ए) में कहा गया है कि दूसरी अनुसूची में निर्धारित मानकों का पालन करने वाली दवाओं को 1940 के अधिनियम के तहत 'मानक गुणवत्ता' के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। दूसरी अनुसूची का शीर्षक है 'आयातित दवाओं और बिक्री के लिए निर्मित, भंडारित या बिक्री या वितरण के लिए प्रदर्शित दवाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानक।' दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि 5 में लिखा हैः

बी.

“5. अन्य दवाएँ-भारतीय फार्माकोपिया में शामिल दवाएँ।

सी.

पहली बार लागू होने वाले इंडिया फार्माकोपिया के संस्करण में निर्दिष्ट पहचान, शुद्धता और शक्ति के मानक और ऐसे अन्य मानक जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

यदि दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति के मानकों को भारतीय फार्माकोपिया के संस्करण में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन पहचान के मानकों से तुरंत पहले भारतीय फार्माकोपिया के संस्करण में निर्दिष्ट किया गया है, तो शुद्धता और शक्ति वे होंगी जो भारतीय फार्माकोपिया और ऐसे अन्य मानकों के तुरंत पिछले संस्करण में होती हैं जो निर्धारित किए जा सकते हैं।”

डी.

ई.

21. 1940 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट मानकों का पालन करने के लिए दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दवाओं की आवश्यकता होती है।प्रविष्टि 5 में यह निर्धारित किया गया है कि 'अन्य दवाओं' का अर्थ है भारतीय फार्माकोपिया में शामिल दवाएं, जिनके लिए मानकों को उसमें निर्दिष्ट किया गया है।भारतीय फार्माकोपिया आयोग 22 भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है।भारतीय दण्ड संहिता सी. ने 'इंडियन फार्माकोपिया' नामक अपने प्रकाशन के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट दवाओं की पहचान, शुद्धता और ताकत के लिए मानक निर्धारित किए हैं।मेडिकल ऑक्सीजन (99.9% शुद्धता पर) को 'ऑक्सीजन आईपी' नामक दवा के रूप में शामिल किया जाता है।धारा 16, जिसे दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है और भारतीय फार्माकोपिया में मेडिकल ऑक्सीजन का विनिर्देशन प्रत्यर्थीगणओं द्वारा आग्रह किए गए इस तर्क का समर्थन करता है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) में परिभाषित एक दवा है।

एफ.

जी.

22. इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 जारी किया जो आधिकारिक राजपत्र (15 मई 2013) में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ।पैरा 2 (टी) में कहा गया है कि 'आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची' का अर्थ है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 जिसे समय-समय पर अद्यतन और संशोधित किया जाता है।यह भी निर्दिष्ट करता है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 आदेश की पहली अनुसूची में शामिल है।पैरा 2 (2) में कहा गया है कि इसमें उपयोग किए गए और 1940 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः 1940 के अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ होंगे। 23.पहली अनुसूची में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 शामिल है।

बी.

सी.

संबंधित भाग नीचे निकाला गया हैः

“अनुसूची-I

(पैराग्राफ-2 (टी), 2 (जेडबी) देखें।

डी.

एन. एल. ई. एम. 2011 में दिखाई देने वाले प्रतीक पी, एस और टी अनिवार्य रूप से क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों को दर्शाते हैं।

आवश्यक चिकित्सा की राष्ट्रीय सूची 2011
आवश्यक चिकित्सा की राष्ट्रीय सूची

2011			
अनुभागः 1 – एनेस्थीसिया			
आवश्यक चिकित्सा की राष्ट्रीय सूची 2011			
1.1 जनरल एनेस्थेटिक्स और ऑक्सीजन			
दवाइयाँ	श्रेणी	प्रशासन का मार्ग	ताकतें
...	...	...	...
नाइट्रस ऑक्साइड	पी, एस, टी	साँस लेना।	
ऑक्सीजन	पी, एस, टी	साँस लेना।	

ई.

एफ.

धारा 1 में नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को 'संज्ञाहरण' के दायरे में दवाओं के रूप में शामिल किया गया है।2013 के आदेश के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2013 के अपने आदेश द्वारा "नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन" और "ऑक्सीजन इनहेलेशन" दोनों के लिए बिक्री मूल्य निर्धारित किया।यह स्पष्ट रूप से बाजार में आवश्यक दवाओं की बिक्री कीमतों के विनियमन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को संज्ञाहरण के रूप में शामिल करने से 1940 के

अधिनियम की धारा 3 (बी) (1) में निर्दिष्ट किसी विकार या बीमारी के निदान और उपचार में इसके उपयोग में सहायता मिलती है।

जी.

एच.

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

855

ए.

24. प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भरोसा किया, जिन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. के औषधीय गुणों पर जोर दिया है। दक्षिणी गैस लिमिटेड बनाम केरल राज्य में, 23 केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या मेडिकल ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1963 के तहत कर निर्धारण के उद्देश्य से 'दवाएं' थीं।इसका सकारात्मक जवाब देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कहा:“तत्काल मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, निर्धारिती, जो "मेडिकल ऑक्सीजन" और "नाइट्रस ऑक्साइड" का निर्माता है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दोनों वस्तुएं केवल अस्पतालों में उपयोग के लिए बनाई गई हैं और इन दोनों वस्तुओं का प्रमुख उपयोग केवल इसलिए है क्योंकि medicines.There कोई विवाद नहीं है कि रोगियों पर इसे लगाने के लिए "मेडिकल ऑक्सीजन" का उपयोग किया जाता है।इसी तरह, "नाइट्रस ऑक्साइड" का कार्य एक एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में कार्य करना है।इस प्रकार, उपयोगकर्ता परीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि "मेडिकल ऑक्सीजन" और "नाइट्रस ऑक्साइड" को दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।”

बी.

सी.

डी.

उपयोगकर्ता परीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण को लागू करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने नोट किया कि रोगियों को मेडिकल ऑक्सीजन दी जाती है और नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है और निष्कर्ष निकाला कि दोनों दवाएं हैं।

25. इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य में, 24 प्रश्न

कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष यह चिंता व्यक्त की गई कि क्या मेडिकल ऑक्सीजन कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम 1957 की प्रविष्टि 121 के दायरे में आती है, जिसमें औद्योगिक गैसों

के लिए कर की दर निर्धारित की गई है।उच्च न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया और निम्नलिखित शब्दों में औद्योगिक ऑक्सीजन और चिकित्सा ऑक्सीजन के बीच अंतर किया:

ई.

“प्रविष्टि 121 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक "औद्योगिक गैस" को आकर्षित करना है, जिसमें, इसके विपरीत, एक ऐसी गैस शामिल नहीं हो सकती है जिसे इसमें सौदा करने वालों द्वारा "औद्योगिक गैस" के रूप में नहीं माना जाता है।यह स्पष्ट है कि "मेडिकल ऑक्सीजन" की आवश्यकता वाले व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जाएगा यदि उसे "औद्योगिक ऑक्सीजन" की आपूर्ति की जाती है और इसी तरह एक ईमानदार व्यापारी "मेडिकल ऑक्सीजन" को "औद्योगिक ऑक्सीजन" के रूप में नहीं बेचेगा।

एफ.

जी.

26. तमिलनाडु राज्य बनाम राम ऑक्सीजन (प्रा.) लिमिटेड 25, द

मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सा ऑक्सीजन 1940 के अधिनियम के दायरे में एक 'दवा' है:

23 (2005) 3 केएलटी 78

24 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 459 25 (2010) 35 वी. एस. टी 478

एच.

“...यह भी विवाद में नहीं है कि चिकित्सा ऑक्सीजन में शुद्ध ऑक्सीजन की शुद्धता 99.9% है और इसका उपयोग केवल रोगियों के उपचार के लिए और मनुष्यों में किसी भी बीमारी या विकार की विपरीत तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है।आपात स्थिति के समय यह सामान्य ज्ञान है कि रोगी के अचानक गिरने से रोकने के लिए 'मेडिकल ऑक्सीजन' का उपयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य स्थितियों में गिरावट को ठीक करने के लिए रोगी को दिए जाने वाले उपचार का हिस्सा है।

बी.

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि आपात स्थिति के समय, रोगियों के अचानक गिरने से रोकने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जो उनके लिए किए गए उपचार का एक हिस्सा है।

सी.

27. पनकी ऑक्सीजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, 26 प्रश्न

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के तहत ऑक्सीजन आई. पी. पर कर प्रवेश "दवा और औषधि तैयारी" के तहत या प्रवेश "ऑक्सीजन और अन्य गैसों" के तहत लगाया जाना था।न्यायमूर्ति अशोक भूषण (उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत) ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि ऑक्सीजन (आई. पी.) पूरी तरह से अधिसूचना दिनांक 15.1.2000 की प्रविष्टि 26 द्वारा कवर किया गया है।

ई.

यानी "दवाएं और दवा की तैयारी" और दिनांकित अधिसूचना की प्रविष्टि 47 द्वारा कवर नहीं की जाएगी जो "ऑक्सीजन और अन्य गैसों" से संबंधित है।ऑक्सीजन (आई. पी.) अर्थात औषधीय ऑक्सीजन एक दवा है जो पूरी तरह से अधिसूचना दिनांक 15.1.2000 की प्रविष्टि 26 द्वारा कवर की गई है, जिसे सामान्य प्रविष्टि यानी अधिसूचना दिनांक 29.1.2001 की प्रविष्टि 47 में शामिल नहीं किया जा सकता है।”

एफ.

28. आईनॉक्स एयर में, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी., मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. पर 2005 के अधिनियम की प्रविष्टि 88 के तहत कर लगाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहाः

जी.

“चूंकि मेडिकल ऑक्सीजन एल. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड एल. पी. का उपयोग मनुष्यों में विकारों के उपचार और शमन में किया जाता है, और जैसा कि उन्हें आम तौर पर शल्य चिकित्सा सहायक माना जाता है, ये दोनों पदार्थ दवा की परिभाषा के तहत आते हैं।

26 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 2144 ए

एच.

औषधि अधिनियम की धारा 3 (बी) (1), और परिणामस्वरूप, अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 88 के अंतर्गत आती है। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. दोनों ही अनुसूची IV की प्रविष्टि 88 के अंतर्गत आते हैं और केवल 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत पर कर लगाने के लिए उत्तरदायी हैं, न कि 12.5% या 14.5% पर।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि चिकित्सा ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्यों में विकारों के उपचार और शमन में किया जाता है, और व्यापार में इन्हें आमतौर पर शल्य चिकित्सा सहायक माना जाता है।

बी.

29. उपरोक्त निर्णय रोग या विकार के शमन और रोकथाम में मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. के उपचारात्मक और सहायक उपयोग पर प्रकाश डालते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है।99.9% शुद्धता के साथ मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों में किया जाता है।मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग रोगियों के उपचार के लिए और मनुष्यों में बीमारी या विकार की तीव्रता को कम करने के लिए भी किया जाता है।इसका उपयोग रोगियों के अचानक गिरने से रोकने और स्वास्थ्य में सुधार में सहायता के लिए किया जाता है।जैसा कि प्रत्यर्थीगणओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है, महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, रोगियों को पूरक ऑक्सीजन दी जाती है।मेडिकल ऑक्सीजन को अन्य स्थितियों के अलावा पुनर्जीवन, प्रमुख आघात, एनाफिलेक्सिस, प्रमुख रक्तस्राव, सदमे और सक्रिय ऐंठन में भी दिया जाता है।

सी.

डी.

30. नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसके संवेदनाहारी और दर्दनाशक प्रभावों के लिए किया जाता है।ब्रिटिश मेडिकल बुलेटिन में 'नाइट्रस ऑक्साइड का अतीत, वर्तमान और भविष्य' शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में नाइट्रस ऑक्साइड के चिकित्सा उपयोग पर निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डाला गया है:

ई.

"एनेस्थेटिक गैस के रूप में, एन 2 ओ में कई अनूठे गुण हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से संचालन कक्ष में बहुत लाभ के लिए उपयोग किया गया है।इनमें एक उच्च एफ. ए./एफ. आई.

अनुपात शामिल है जो तेजी से शुरुआत और ऑफसेट के लिए अनुमति देता है, एंगियोलिटिक के साथ-साथ एनाल्जेसिक और घरेलू गुण, गंध की कमी और ट्रेकोब्रोंकियल पेड़ में जलन की कमी।इन समान गुणों ने इसे ओ. आर. के बाहर के क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय बना दिया है जिसमें बाल चिकित्सा प्रक्रियात्मक शामक, आपातकालीन कक्ष, प्रसूति और संभावित मनोचिकित्सा शामिल हैं, जो उपचार-प्रतिरोधी अवसाद के क्षीणन के लिए हैं।"

एफ.

जी.

27 वी ल्यू, ई मैके, एम मेज़, नाइट्रस ऑक्साइड का अतीत, वर्तमान और भविष्य, ब्रिटिश मेडिकल बुलेटिन, खंड 125, अंक 1, मार्च 2018, पृष्ठ 103-119।

एच.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'मॉडल निर्धारित करने वाली जानकारी' शीर्षक से अपने प्रकाशन में कहाःसंज्ञाहरण '28 में प्रयुक्त दवाओं में कहा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड के निम्नलिखित उपयोग हैंः

"अन्य एनेस्थेटिक एजेंटों (हेलोथेन, ईथर, थियोपेंटल या केटामाइन) और मांसपेशियों को आराम देने वाले पदार्थों के साथ संयोजन में सर्जिकल एनेस्थीसिया का रखरखाव।

बी.

उप एनेस्थेटिक खुराक में, प्रसूति अभ्यास के लिए एनाल्जेसिया प्रदान करने के लिए, चोटों के आपातकालीन प्रबंधन के लिए, पोस्टऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के दौरान और अंतिम बीमारी में अपवर्तक दर्द के लिए।"

सी.

के. डी. त्रिपाठी ने एसेन्शियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी 29 में कहा हैः

"श्वास-सम्बन्धी एनेस्थेटिक 1.नाइट्रस ऑक्साइड (एन 2 ओ) यह एक रंगहीन, गंधहीन, हवा से भारी, गैर-ज्वलनशील गैस है जो स्टील सिलेंडरों में दबाव में आपूर्ति की जाती है।यह गैर-चिड़चिड़ा है, लेकिन कम शक्ति वाला एनेस्थेटिक है; सहवर्ती हाइपोक्सिया के बिना सभी व्यक्तियों में बेहोशी पैदा नहीं की जा सकती है; MAC 105% का अर्थ है कि शुद्ध N2O भी 1 वायुमंडल के दबाव पर पर्याप्त एनेस्थीसिया का उत्पादन नहीं कर सकता है।मांसपेशियों को

शिथिल करने वाली दवाओं के साथ 70 प्रतिशत एन 2 ओ + 30 प्रतिशत ओ 2 पर रखे गए रोगी अक्सर संज्ञाहरण के दौरान की घटनाओं को याद करते हैं, लेकिन कुछ पूरी तरह से जागरूकता खो देते हैं।नाइट्रस ऑक्साइड एक अच्छा दर्दनाशक है; यहां तक कि 20 प्रतिशत भी मॉर्फिन की पारंपरिक खुराक द्वारा उत्पादित दर्दनाशक के बराबर दर्दनाशक पैदा करता है।

डी.

ई.

...

एफ.

3. नाइट्रस ऑक्साइड रोगी को नाक के टुकड़े या हुड के माध्यम से ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बनाया जाता है और एन 2 ओ को 10 प्रतिशत वृद्धि (अधिकतम 50 प्रतिशत, शायद ही कभी 70 प्रतिशत) में जोड़ा जाता है जब तक कि निरंतर मौखिक संपर्क द्वारा मूल्यांकन किए गए बेहोश करने के वांछित स्तर प्राप्त नहीं हो जाते।प्रक्रिया पूरी होने तक इसे बनाए रखा जाता है।इसके बाद, एन 2 ओ बंद हो जाता है, लेकिन 100% ओ 2 अगले 5 मिनट तक जारी रहता है।रोगी आम तौर पर 30-60 मिनट में सड़क के योग्य होता है।"

जी.

28 डब्ल्यूएचओ मॉडल निर्धारित करने वाली जानकारीःएनेस्थीसिया में प्रयुक्त दवाएँ (1989)।29 के. डी. त्रिपाठी, एसेन्शियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, VIIth एड., पी.378.

एच.

ए. पी. राज्य (पूर्व में बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड) [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

859

ए.

उपरोक्त अर्क नाइट्रस ऑक्साइड के चिकित्सा उपयोग को एक सामान्य संवेदनाहारी के रूप में और साथ ही इसके एनाल्जेसिक और एक्सियोलिटिक गुणों के लिए ऑपरेशन रूम में प्रदर्शित करते हैं।

31. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, यह गंभीर रूप से विवादित नहीं था कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. एक औषधीय उद्देश्य की उप-सेवा करते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) के दायरे में आने वाले मनुष्यों में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। हमारा मानना है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस

ऑक्साइड आई. पी. 1940 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (आई) के दायरे में आते हैं और इसके परिणामस्वरूप 2005 के अधिनियम की प्रविष्टि 88 में शामिल हैं। 32.उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में इस हद तक कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन आई. पी. और नाइट्रस ऑक्साइड आई. पी. 2005 के अधिनियम की प्रविष्टि 88 के अंतर्गत आते हैं।

बी.

सी.

33. अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, हालांकि ऊपर बताए गए कारणों के लिए।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

34. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

एफ.

जी.

एच.